



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 कार्तिक, 1947 (श०)

संख्या - 512 राँची, सोमवार,

17 नवम्बर, 2025 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।

संकल्प

12 नवम्बर, 2025

संकल्प संख्या-13/नि०वि० (शुल्क विमुक्ति)-05/2025- 299/नि0--

विषय : अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सुश्री सलीमा टेटे तथा सुश्री निक्की प्रधान को झारखण्ड आवास बोर्ड द्वारा निःशुल्क आवंटित भूखण्ड के निबंधन में प्रभार्य मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क से विमुक्ति के संबंध में ।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा-9 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सुश्री सलीमा टेटे तथा सुश्री निक्की प्रधान को झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची के आवंटन आदेश संख्या-913, दिनांक-06.12.2024 तथा संख्या-912, दिनांक-06.12.2024 द्वारा क्रमशः आवासीय कॉलोनी, हरमू राँची स्थित वीर कुँवर सिंह चौक से ईमली चौक जाने वाले रास्ते में आवंटित खाली उच्च आय वर्गीय भू-खण्ड संख्या-पी० 2 जिसका क्षेत्रफल 3750 वर्गफीट तथा भू-खण्ड संख्या-पी० 1 जिसका क्षेत्रफल 3750 वर्गफीट है, के पक्ष में निष्पादित लिखत (दस्तावेज) पर प्रभार्य मुद्रांक शुल्क से विमुक्ति दी जाती है। साथ ही भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा-78 के अन्तर्गत प्रभार्य निबंधन शुल्क से भी विमुक्ति दी जाती है।

प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।